

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या – 626/2024

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सन्तोदेवी पत्नि अमीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
2. ममता पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
3. रोशनी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
4. बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर-फौत।
  - 4/1. पालाराम पुत्र बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
  - 4/2. निराणी पुत्री बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
  - 4/3. सुखवीर पुत्र बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
  - 4/4. सरला पुत्री बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
6. किरतन पत्नि बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
7. रोहताष पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
8. धर्मवीर पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
9. राजबाला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
10. पतराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
11. जयलाल पुत्र रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
12. दारासिंह पुत्र रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
13. बिन्दो पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
14. गुडी पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
15. गिरदावरी पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
16. सन्तोष पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
17. निको पत्नि धर्मपाल पुत्र रेशमी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
18. सतवीर पुत्र धर्मपाल पुत्र रेशमी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
19. इन्द्रो पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
20. संदीप पुत्र विमला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
21. अनु पुत्री रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
22. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
23. धनराज पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
24. हुणताराम पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
25. दलीप चन्द पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
26. सुमित्रा पुत्री रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
27. शारदा पुत्री रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व छानीबड़ी भादरा।


– प्रतिवादीगण

Zah  
उपखण्डाधिकारी  
नोहर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 626 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 128/120 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 4/1 ता 4/4 प्रत्येक को 3/320 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 अकेली 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 प्रत्येक 1/20 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 19 अकेली को 1/80 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है एवं उपरोक्त खाते में हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 15 एएमएस तहसील भादरा के खाता स0 114/33 की कुल 15.7990 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज 2636/15799 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 659/15799 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 659/94794 भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/4 बहिब 659/94794 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 अकेली 659/94794 हिस्सा व प्रतिवादी स0 10 अकेला 659/15799 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 19 अकेला को 659/31598 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक हरिसिंह पुत्र चुन्नी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 626/2024  
अनवान : -

1. रामनिवास पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।

- वादी

**बनाम्**

1. सन्तोदेवी पत्नि अमीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
2. ममता पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
3. रोशनी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
4. बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर-फौत।
  - 4/1. पालाराम पुत्र बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
  - 4/2. निराणी पुत्री बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
  - 4/3. सुखवीर पुत्र बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
  - 4/4. सरला पुत्री बनारसी पुत्री गोपीराम जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
6. किरतन पत्नि बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
7. रोहताष पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
8. धर्मवीर पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
9. राजबाला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
10. पतराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
11. जयलाल पुत्र रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
12. दारासिंह पुत्र रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
13. बिन्दो पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
14. गुडी पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
15. गिरदावरी पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
16. सन्तोष पुत्री रेशमा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
17. निको पत्नि धर्मपाल पुत्र रेशमी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
18. सतवीर पुत्र धर्मपाल पुत्र रेशमी जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
19. इन्द्रो पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
20. संदीप पुत्र विमला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर
21. अनु पुत्री रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
22. कृष्ण कुमार पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
23. धनराज पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
24. हुणताराम पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
25. दलीप चन्द पुत्र रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
26. सुमित्रा पुत्री रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
27. शारदा पुत्री रामप्यारी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व छानीबड़ी भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर


उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 30/10/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 128/120 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें गोपीराम पुत्र हरिसिंह सयुक्त से 1/10 हिस्सा, पतराम, पुत्र हरिसिंह, सयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा, अमीलाल पुत्र हरिसिंह सयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा, एवं वादी के दादा हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम सयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्ताकर है एवं रोही मौजा चक 15 ए.एम. एस. तहसील भादरा के खाता सं. 114/33 की कुल तादादी 15.7990 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त रूप से हरिसिंह पुत्र चुनी जाति जाट 1/10 हिस्सा खातेदार काश्तकार है।

वादी के दादा हरिसिंह पुत्र चुनी जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर फौत चुके है तथा उनकी धर्मपत्नि किसनी पत्नि हरिसिंह जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर फौत हो चुकी है तथा हरिसिंह पुत्र चुनीराम के चार लड़के रामप्यारी, बनवारीलाल, अमीलाल, पतराम हुए तथा चार लड़की रेशमा, बिमला, इन्द्रा, एवं गोपीराम, हुई जिनमें से तीन लड़के गोपीराम, बनवारीलाल, अमीलाल फौत हो चुके तथा तीन लड़की रामप्यारी रेशमा एवं विमला फौत हो चुकी है तथा उनकी जगह उनके वारिसान का कायम मुकाम बनाया गया है। प्रतिवादीगण सं. 14 ता 19 व 17 ता 20 व 21, 21 ता 30 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2, 9 ता 11, व 16 ता 19 ने अपने परिवार की सामाजिक उन्नति एवं सामाजिक समृद्धि हेतु अपना जितना भी हक व हिस्सा बनता था वह अपने पारिवारिक सदस्यों वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 3 ता 4, 10 ता 12, 2 व 13 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी सं. 22 इन्दा अपना हक व हिस्सा रखना चाहती है तथा उसने अपना हक व हिस्सा का परित्याग नहीं किया है तथा वादग्रस्त में प्रतिवादी सं. 20 ता 21, 21 ता 30 प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 व 9 ता 12 व 16 ता 19 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में इनके द्वारा मौखिक रूप से हक व हिस्सा परित्याग करने पर कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 128/120 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से वादी अकेला 0.08855 हैक्टर भूमि, प्रतिवादीगण सं. 3 ता 8 ब.हि.ब. 0.79695 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 12 अकेली 0.8855 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी सं. 13 अकेला 0.8855 हैक्टर प्रतिवादी सं. 22 अकेली 0.08855 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है। एवं मृतक हरिसिंह, गोपीराम, अमीलाल का नाम कलमजन करवापाने के अधिकारी है एवं रोही मौजा चक 15 ए.एम. एस. तहसील भादरा के खाता सं. 114/33 की कुल तादादी 15.7990 हैक्टर भूमि में मृतक हरिसिंह पुत्र चुनी के नाम दर्ज 2636/15799 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 659/15799 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 ता 5 ब.हि.ब.


  
उपस्थित अधिकारी  
नोहर

659/31598 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 अकेली 659/15799 हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 अकेली 659/15799 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 19 अकेली 659/15799 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है मृतक हरिसिंह पुत्र चुनी का नाम कलमजन करवापाने के अधिकारी है इन्ही आशयों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 28 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 29 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र हरिसिंह, गोपीराम, बनवारी, अमीलाल, रामप्यारी, बिमला देवी, रेशमा, धर्मपाल व बनारसी तथा चित्रप्रति शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 128/120 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 4/1 ता 4/4 प्रत्येक 3/320 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 अकेली 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 प्रत्येक 1/20 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 19 अकेली 1/80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं उपरोक्त खाते में हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन किया जावे एवं रोही मौजा चक 15 एएमएस तहसील भादरा के खाता स० 15.7990 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज 2636/15799 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 659/15799 हिस्सा एवं 659/94794 प्रतिवादी संख्या 3 के पास, प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/4 बहिब 659/94797 हिस्सा, प्रतिवादी स० 5 अकेली 659/94794 हिस्सा व प्रतिवादी स० 10 अकेला 659/15799 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 19 अकेला 659/31598 हिस्सा केक खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं मृतक हरिसिंह पुत्र चुन्नी का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाना चाहता है।

  
उपस्थित अधि:

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह के नाम दर्ज है में हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह का देहान्त हो चुका है। में हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 27 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी समझौता कर रखा है एवं मुताबिक समझौता रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 128/120 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 4/1 ता 4/4 प्रत्येक 3/320 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 अकेली 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 प्रत्येक 1/20 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 19 अकेली 1/80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं उपरोक्त खाते में हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन किया जावे एवं रोही मौजा चक 15 एएमएस तहसील भादरा के खाता स0 15.7990 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज 2636/15799 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 659/15799 हिस्सा एवं 659/94794 प्रतिवादी संख्या 3 के पास, प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/4 बहिब 659/94797 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 अकेली 659/94794 हिस्सा व प्रतिवादी स0 10 अकेला 659/15799 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 19 अकेला 659/31598 हिस्सा केक खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं मृतक हरिसिंह पुत्र चुन्नी का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 25 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 128/120 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें गोपीराम पुत्र हरिसिंह सयुक्त से 1/10 हिस्सा, पतराम, पुत्र हरिसिंह, सयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा, अमीलाल पुत्र हरिसिंह सयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा, एवं वादी के दादा हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम सयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्ताकर है एवं रोही मौजा चक 15 एएम.

एस. तहसील भादरा के खाता सं. 114/33 की कुल तादादी 15.7990 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें संयुक्त रूप से हरिसिंह पुत्र चुनी जाति जाट 1/10 हिस्सा खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में हरिसिंह पुत्र चुनीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह के नाम दर्ज है में हरिसिंह पुत्र चुनीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह का देहान्त हो चुका है। में हरिसिंह पुत्र चुनीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 27 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी समझौता कर रखा है एवं मुताबिक समझौता रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 128/120 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 4/1 ता 4/4 प्रत्येक 3/320 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 अकेली 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 प्रत्येक 1/20 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 19 अकेली 1/80 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं उपरोक्त खाते में हरिसिंह पुत्र चुनीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन किया जावे एवं रोही मौजा चक 15 एएमएस तहसील भादरा के खाता स0 15.7990 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से हरिसिंह पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज 2636/15799 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 659/15799 हिस्सा एवं 659/94794 प्रतिवादी संख्या 3 के पास, प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/4 बहिब 659/94797 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 अकेली 659/94794 हिस्सा व प्रतिवादी स0 10 अकेला 659/15799 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 19 अकेला 659/31598 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं मृतक हरिसिंह पुत्र चुनी का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 128/120 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 4/1 ता 4/4 प्रत्येक को 3/320 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 5 अकेला 3/80 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 अकेली 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 8 प्रत्येक 1/20 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 19 अकेली को 1/80 हिस्सा

*Lalul*  
उपसपक्ष अधिकारी  
नोहर

भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है एवं उपरोक्त खाते में हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम, अमीलाल व गोपीराम पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 15 एएमएस तहसील भादरा के खाता स0 114/33 की कुल 15.7990 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से हरिसिंह पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज 2636/15799 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 659/15799 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 659/94794 भूमि का, प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/4 बहिब 659/94794 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 अकेली 659/94794 हिस्सा व प्रतिवादी स0 10 अकेला 659/15799 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 19 अकेला को 659/31598 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक हरिसिंह पुत्र चुन्नी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.01.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर